

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 2 सितम्बर, 2026

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-28/2026.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026 (2026 का विधेयक, संख्यांक 16) जो आज दिनांक 02 सितम्बर, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि०प्र० विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 16.

हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2026

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 3 का संशोधन।
4. धारा 4 का संशोधन।
5. धारा 5 का संशोधन।
6. धारा 6 का प्रतिस्थापन।
7. धारा 6क और 6ख का अंतःस्थापन।
8. धारा 7 का प्रतिस्थापन।
9. धारा 8 का प्रतिस्थापन।
10. धारा 9 का संशोधन।
11. धारा 10 का लोप।
12. धारा 11 का प्रतिस्थापन।
13. धारा 12 का संशोधन।
14. धारा 13 का प्रतिस्थापन।

2026 का विधेयक संख्यांक 16.

हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खंड (ख) में, “परिक्षेत्र का प्रभारी मुख्य अभियन्ता” शब्दों के स्थान पर “वृत्त का प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(छ—क) “मांग आदेश” से, धारा 7 या धारा 11 या दोनों के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ऐसा लिखित आदेश अभिप्रेत है, जिसके द्वारा पुनर्स्थापन लागत, शास्ति, अधिग्रहण/अभिग्रहण शुल्क, निपटान शुल्क या इस अधिनियम के अधीन वसूलनीय कोई अन्य रकम संदत्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है;”;

(ग) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ट—क) “शास्ति” से, इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के उल्लंघन के लिए धारा 11 के अधीन पुनर्स्थापन लागत के अतिरिक्त अधिरोपित शास्तिक राशि अभिप्रेत है;”;

(घ) खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ढ—क) “अस्थायी निर्धारण” से तत्काल पुनर्स्थापन या सुरक्षात्मक कार्रवाई के प्रयोजन के लिए धारा 11 के अधीन की गई पुनर्स्थापन लागत का अस्थायी तकनीकी निर्धारण, अभिप्रेत है, जो अंतिम समायोजन के अध्यधीन होगा;”;

(ङ) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ण—क) “पुनर्स्थापन लागत” से, क्षतिग्रस्त सड़क अवसंरचना को हटाने, मरम्मत करने, सुधारने या पुनर्स्थापित करने के लिए उपगत वास्तविक या निर्धारित लागत, जिसके अंतर्गत श्रम, सामग्री, मशीनरी, परिवहन तथा पर्यवेक्षण प्रभार सम्मिलित हैं, जो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची या लागत—निर्धारण के सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की गई हो अभिप्रेत है”;

(च) खंड (द) के अंत में प्रयुक्त “और” शब्द का लोप किया जाएगा; और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(द—क) अभिग्रहण” से, इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन सामग्री, मशीनरी, माल या चल संपत्ति को अभिरक्षा, निपटान या वसूली के प्रयोजनों के लिए अपने कब्जे में लेना अभिप्रेत है; और

(छ) खंड (ध) में, “राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस रूप में नियुक्त किया गया हो और उसके अर्न्तगत विभाग का सड़क निरीक्षक और कार्य पर्यवेक्षक भी है।” शब्दों के स्थान पर “पुष्टिकरण प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।” शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 3 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

- (क) "कोई भी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, सड़क अवसंरचना के किसी भाग में ऐसा अवरोध या भौतिक क्षति कारित नहीं करेगा, जिससे यातायात की सुरक्षा या संरचनात्मक अखंडता प्रभावित हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे:-
- (ख) खंड (xvi) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् "(xvi) खनन संक्रियाओं तथा खनित सामग्री के परिवहन के कारण सड़क अवसंरचना को क्षति कारित नहीं करेगा;";
- (ग) खंड (xvi) के अंत में "और" शब्द का लोप किया जाएगा; और
- (घ) खंड (xvii) के अन्त में, "।" चिन्ह के स्थान पर ";" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा।

(xviii) ऐसे रीति से किसी वाहन को खड़ा नहीं करेगा या खड़ा नहीं करवाएगा, जिससे यातायात के निर्बाध प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो या सड़क किनारे की जल निकासी अथवा क्रॉस-ड्रेनेज प्रणालियों में अवरोध, रुकावट या हस्तक्षेप हो, अथवा सड़क अवसंरचना पर प्राधिकृत रखरखाव, मरम्मत या निर्माण कार्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो;"; और

"(xix) सड़क अवसंरचना के किसी भाग पर बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या भौतिक क्षति नहीं पहुंचाएगा जिससे यातायात सुरक्षा या सड़क अवसंरचना की संरचनात्मक समग्रता प्रभावित हो।"।

4. धारा 4 का संशोधन.-अधिनियम की धारा 4 में,-

- (क) उप-धारा (1) में, "सड़क की लम्बाई और चौड़ाई को" शब्दों के पश्चात् "विधि के अनुसार सीमांकन किए जाने के पश्चात्" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा (1क) अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
- "(1क) सड़क अवसंरचना मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयुक्त नियंत्रण बिंदुओं, संदर्भ स्तंभों तथा सीमा स्तंभों का भू-निर्देशांक निर्धारण किया जाएगा और उन्हें सरकार द्वारा क्षेत्रीय सीमांकन किए जाने के लिए प्राधिकृत राजस्व विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा।";
- (ग) उप-धारा (2) में, "सड़क अवसंरचना की पहचान तथा सीमांकन के लिए संदर्भ बिन्दुओं के रूप में नियतभूमि चिन्हों को भी दर्शाएगा" शब्दों के पश्चात् "और मानचित्र को संबंधित जोन के प्रभारी मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (घ) उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) भू-निर्देशांकित सड़क अवसंरचना मानचित्र पर संबंधित सहायक अभियंता तथा क्षेत्र में सीमांकन किए जाने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसका प्रमाणीकरण किया जाएगा।

(2ख) सड़क अवसंरचना मानचित्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार, अनुरक्षित, प्रमाणित तथा संरक्षित किया जा सकेगा और जहां ऐसा मानचित्र तैयार किया गया हो, वहां संबंधित सहायक अभियंता तथा सीमांकन किए जाने के लिए प्राधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार उस पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसका प्रमाणीकरण किया जाएगा।

(2ग) ऐसे मानचित्र की किसी सुरक्षित सरकारी इलेक्ट्रॉनिक भंडार में संगृहीत डिजिटल रूप से प्रमाणित प्रति को इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए मूल सड़क अवसंरचना मानचित्र माना जाएगा।”;

(ड) उप-धारा (4) में, “कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय” शब्दों के स्थान पर “कार्यकारी अभियन्ता या सहायक अभियन्ता के कार्यालय” शब्द रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(6क) जहां इस धारा के अधीन सड़क अवसंरचना मानचित्र को अंतिम रूप दे दिया गया है और अधिसूचित कर दिया गया है, वहां इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी पृथक क्षेत्रीय सीमांकन की आवश्यकता नहीं होगी:

परंतु यह कि, जिसके विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की गई है, ऐसा कोई व्यक्ति, विहित अवधि के भीतर, विहित प्राधिकारी की उपस्थिति में राजस्व विभाग द्वारा स्थल के नए सिरे से सीमांकन किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा:

परंतु यह भी कि, ऐसे सीमांकन की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान:-

(क) विहित प्राधिकारी स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने तथा चल रही किसी भी निषिद्ध गतिविधि को बंद करने का निर्देश देगा; और

(ख) जहां सड़क अवसंरचना को क्षति हुई है और उसकी तत्काल मरम्मत या तकनीकी पुनर्स्थापना अपेक्षित है, वहां विहित प्राधिकारी ऐसी पुनर्स्थापना संबंधी कार्रवाई विभागीय रूप से कर सकेगा तथा पुनर्स्थापना की लागत और शास्ति की वसूली के लिए धारा 11 के अधीन मांग आदेश जारी कर सकेगा, और इसके लिए सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा;

(6ख) जहां सड़क अवसंरचना मानचित्र को अंतिम रूप नहीं दिया गया है या अधिसूचित नहीं किया गया है, किंतु सड़क भूमि प्रथमदृष्टया विभाग के स्वामित्व या कब्जे में है, वहां विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा:

परंतु यह कि, बेदखली, स्थायी संरचनाओं को हटाने या ध्वस्त करने अथवा शास्ति अधिरोपित करने का कोई अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विहित प्राधिकारी ने सक्षम राजस्व अधिकारी से सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त न कर ली हो, जिसमें सड़क भूमि की सीमाओं की पुष्टि की गई हो; और:

परंतु यह भी कि, ऐसी सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने तक, विहित प्राधिकारी—

(क) किसी निषिद्ध गतिविधि को तत्काल बंद करने तथा स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए अनंतिम आदेश जारी कर सकेगा;

(ख) जहां सड़क अवसंरचना को क्षति हुई है और संरचनात्मक अथवा लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी तत्काल मरम्मत या तकनीकी पुनर्स्थापना आवश्यक है, वहां ऐसी पुनर्स्थापना संबंधी कार्रवाई विभागीय रूप से कर सकेगा तथा पुनर्स्थापना लागत की वसूली के लिए अनंतिम मांग आदेश जारी कर सकेगा, जो सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर अंतिम समायोजन के अधीन होगा; और

(ग) जहां सड़क अवसंरचना को और अधिक क्षति होने अथवा उसमें अपरिवर्तनीय परिवर्तन होने का आसन्न जोखिम हो, वहां अतिक्रमित भाग को सीलबंद, घेराबंद या सुरक्षित कर सकेगा:

परंतु यह भी कि, सीमांकन की कार्यवाही नियमों में विहित ऐसी अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी और जहां सीमांकन रिपोर्ट में यह पुष्टि होती है कि भूमि विभाग के स्वामित्व या कब्जे के भीतर है, वहां इस उप-धारा के अधीन जारी किए गए सभी अनंतिम आदेशों को पुष्ट किया हुआ माना जाएगा और वे वसूली तथा अभियोजन के लिए उनकी मूल रूप से जारी किए जाने की तारीख से विधिक रूप से प्रवर्तनीय हो जाएंगे, जब तक कि विहित प्राधिकारी द्वारा उन्हें विशेष रूप से संशोधित न किया गया हो।”

5. धारा 5 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 5 में विद्यमान उपबंध को उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(2) विहित प्राधिकारी से भिन्न, विभाग के अधिकारियों का अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय दौरों, निरीक्षणों अथवा शासकीय दौरों के दौरान, सड़क अवसंरचना का अतिक्रमणों अथवा प्रतिषिद्ध गतिविधियों के लिए निरीक्षण करने तथा इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई आरंभ करने के लिए विहित प्राधिकारी को लिखित निर्देश जारी करने का भी कर्तव्य होगा,।

(3) विहित प्राधिकारी ऐसे निर्देशों पर बिना अनावश्यक विलंब के कार्रवाई करेगा और यथापेक्षित अनुपालन का अभिलेख रखेगा।”।

6. धारा 6 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“6. धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के नियंत्रण और निवारण के लिए आदेश.—(1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध किसी क्रियाकलाप के किए जाने का पता चलने पर, विहित प्राधिकारी, दोषी व्यक्ति को उक्त प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप तत्काल बंद करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी करेगा और, जहां आवश्यक हो, सड़क अवसंरचना की यथास्थिति बहाल करने का आदेश देगा:

“परंतु जहां प्रतिषिद्ध गतिविधि में,—

- (i) सड़क अवसंरचना की अनधिकृत खुदाई, कटाई या तोड़-फोड़;
- (ii) पुलों, पेवमेंट, प्रतिधारण दीवारों, संरक्षण कार्यों या संबद्ध सड़क अवसंरचना को क्षति;
- (iii) सड़क किनारे की जल निकासी व्यवस्था, कलवर्टों या कैच-पिटों को अवरुद्ध करना, नष्ट करना या उन्हें स्थायी रूप से अनुपयोगी बनाना;
- (iv) सड़क किनारे के वृक्षारोपण को उखाड़ना या नष्ट करना; या
- (v) ऐसी कोई क्षति, जिसके पुनर्स्थापन के लिए तकनीकी या इंजीनियरी हस्तक्षेप अपेक्षित हो;

सम्मिलित हो तो विहित प्राधिकारी, व्यक्ति/क्रमी को यथास्थिति बहाल करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करेगा, बल्कि ऐसी बहाली या सुधार कार्य को बिना विलंब विभागीय रूप से करवाएगा और धारा 11 के अनुसार बहाली की लागत तथा शास्ति की वसूली के लिए मांग आदेश जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी का आदेश लिखित रूप में प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप का स्पष्ट विवरण देगा और जहां ऐसा मानचित्र विद्यमान हो, वहां सड़क अवसंरचना के मानचित्र के संबंधित भाग पर उक्त प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप के घटित होने के स्थान को भी दर्शाएगा तथा ऐसे

क्रियाकलाप की सीमा और उसके कारण पहले ही हुई अथवा हो रही क्षति को भू-समन्वित फोटोग्राफिक या डिजिटल साक्ष्य के माध्यम से दर्शाएगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन दोषी व्यक्ति द्वारा बहाली किया जाना अनुज्ञेय हो, वहां विहित प्राधिकारी, दोषी व्यक्ति को निर्दिष्ट अवधि के भीतर सड़क अवसंरचना की स्थिति को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश देगा, जिसके लिए वह नोटिस जारी किए जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर बहाली की प्रक्रिया आरंभ करेगा और अनुमत अवधि के भीतर उसे पूरा करेगा।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि उसमें दिए गए किसी निर्देश का दोषी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन न किए जाने की दशा में, विहित प्राधिकारी, अपेक्षित हटाने, बहाली या सुधार का कार्य दोषी व्यक्ति के जोखिम और खर्च पर विभागीय रूप से करवा सकेगा तथा धारा 11 के अनुसार बहाली की लागत और शास्ति की वसूली के लिए मांग आदेश जारी कर सकेगा।

(5) आदेश में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि ऐसे आदेश की निरंतर अथवा जानबूझकर अवज्ञा किए जाने पर दोषी व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन अभियोजन के लिए दायी हो सकेगा।

(6) ऐसी कार्रवाई के दौरान हटाई या ध्वस्त की गई कोई संरचना, सामग्री या चल संपत्ति सरकार के पक्ष में समपहृत की जा सकेगी और विहित रीति से उसका निपटान किया जा सकेगा। ऐसे निपटान से प्राप्त राशि को उपयुक्त लेखा शीर्ष के अधीन सरकारी कोषागार में जमा किया जाएगा और मांग आदेश में विनिर्दिष्ट बहाली की लागत तथा शास्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा तथा जहां ऐसी प्राप्त राशि अपर्याप्त हो, वहां शेष राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(7) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक नोटिस या आदेश की तामील संबंधित व्यक्ति पर उसे व्यक्तिगत रूप से या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से परिदत्त या निविदत्त करके, या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, या विहित किए गए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी और जहां ऐसी तामील किया जाना व्यावहारिक न हो, वहां उसकी एक प्रति घटनास्थल पर या संबंधित संपत्ति पर किसी प्रमुख स्थान पर चस्पा करके अथवा विहित रीति से प्रकाशन द्वारा, या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य प्रकार की तामील द्वारा की जा सकेगी।

(8) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी, बिना कोई पूर्व नोटिस जारी किए, सड़क अवसंरचना पर ऐसी अनधिकृत अधिभोग या प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप को हटा सकता है, जो अस्थायी, चल अथवा गैर-स्थायी प्रकृति का हो, जिसमें माल या वस्तुओं को प्रदर्शित करना या रखना, अस्थायी स्टॉल, कियोस्क या बूथ लगाना, वाहनों को खड़ा करना या पार्क करना, यातायात के आवागमन या जल निकासी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले माल या सामग्री को रखना तथा पशुधन या अन्य सरलता से हटाए जा सकने वाले अवरोधों को बांधना सम्मिलित है, जहां ऐसा अधिभोग या क्रियाकलाप यातायात सुरक्षा, सड़क संचालन या जल निकासी के कार्य में हस्तक्षेप/अवरोध करता हो:

परंतु यह कि जहां ऐसे हटाए जाने से सड़क अवसंरचना को हुई क्षति प्रकट होती है या उसमें क्षति सम्मिलित हो, वहां विहित प्राधिकारी ऐसी क्षति का आकलन करेगा और धारा 11 के अनुसार बहाली की लागत तथा शास्ति की वसूली के लिए मांग आदेश जारी करेगा:

परंतु यह और कि सक्षम नगर विक्रय समिति द्वारा जारी विधिमान्य विक्रय प्रमाण-पत्र धारण करने वाले किसी सड़क विक्रेता को हटाने, बेदखल करने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्रवाई पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी:

परंतु यह और भी कि किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि ऐसा अस्थायी स्टॉल, कियोस्क, बूथ या वस्तुओं का प्रदर्शन पक्के यातायात मार्ग पर अतिक्रमण करता हो, सड़क किनारे की जल निकासी को पूर्णतः अवरुद्ध करता हो, या वाहनों के यातायात अथवा लोक सुरक्षा के लिए आसन्न और अपरिहार्य खतरा उत्पन्न करता हो, तो विहित प्राधिकारी को इस उपधारा के अधीन तत्काल संक्षिप्त कार्रवाई करने से कोई बात निवारित नहीं करेगी।

(9) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जहां विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप या अवरोध यातायात सुरक्षा, सड़क अवसंरचना की संरचनात्मक सुरक्षा, जल निकासी प्रणालियों के संरक्षण, लोक स्वास्थ्य या सड़क अवसंरचना को आसन्न क्षति के निवारण के हित में तत्काल हस्तक्षेप की अपेक्षा करता है, वहां प्राधिकारी बिना पूर्व नोटिस जारी किए ऐसे अवरोध, सामग्री या संरचना को हटा सकेगा, ऐसे क्रियाकलाप को रोक सकेगा या ऐसी निकासी कर सकेगा अथवा ऐसे अन्य तत्काल सुरक्षात्मक उपाय कर सकेगा जो आवश्यक हों, और इस संबंध में उपगत लागत धारा 11 के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

(10) जहां किसी प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप सड़क अवसंरचना को क्षति हुई हो और ऐसी क्षति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ज्ञात न हो या तत्काल अभिज्ञात न किया जा सकता हो, वहां विहित प्राधिकारी ऐसी घटना को सड़क अवसंरचना को हुई क्षति के मामले के रूप में दर्ज करेगा, क्षति के स्वरूप और सीमा को अभिलिखित करेगा तथा बहाली की लागत का आकलन करेगा, प्रभावित सड़क अवसंरचना की सुरक्षा, अवरोध हटाने या उसकी बहाली के लिए तत्काल कदम उठाएगा और उत्तरदायी व्यक्ति की पहचान हो जाने पर उससे बहाली की लागत तथा शास्ति की वसूली की कार्रवाई करेगा।

“स्पष्टीकरण—ऐसी क्षति का रजिस्ट्रीकरण अपराधी की पूर्व पहचान पर निर्भर नहीं होगा और इस प्रकार आकलित राशि इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार वसूलनीय होगी।”

7. धारा 6क और 6ख का अंतःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“6क. यानों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति.—यदि पुष्टिकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि लोक सुरक्षा या लोक सुविधा के हित में, अथवा किसी सड़क या पुल के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक है, तो वह राजपत्र (ई—गजट) में अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट अपवादों या शर्तों के अध्यधीन, किसी सड़क या उसके किसी भाग का उपयोग यातायात की किसी श्रेणी या श्रेणियों के लिए, सामान्यतः अथवा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवसरों या समयावधियों के दौरान, प्रतिषिद्ध या कर सकेगा; और जब ऐसा निषेध या प्रतिबंध अधिरोपित किया जाता है, तब पुष्टिकरण प्राधिकारी यातायात की सुविधा के लिए ऐसे उपयुक्त स्थानों पर विहितानुसार यातायात संकेतक स्थापित या खड़े करवाएगा।

परंतु जहां इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई निषेध या प्रतिबंध एक माह या उससे कम अवधि तक प्रभावी रहना हो, वहां ऐसा निषेध या प्रतिबंध राजपत्र (ई—गजट) में अधिसूचना जारी किए बिना भी अधिरोपित किया जा सकेगा।

परंतु यह भी कि, प्रथम परंतुक के अधीन अधिरोपित निषेध या प्रतिबंध को उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए अन्य उपलब्ध माध्यमों से व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रकाशित किया जाएगा।”।

6ख. पुलिस सहायता की अध्यपेक्षा की शक्ति—

(1) इस अधिनियम की धारा 6, 7, 11 या 12 के अधीन किसी कार्रवाई को करने के प्रयोजनार्थ, जिसमें अतिक्रमण या अवरोध को हटाना, सामग्री का अभिग्रहण, वाहनों को निरुद्ध करना, बहाली संबंधी उपायों का क्रियान्वयन, यथास्थिति का प्रवर्तन या लोक शांति भंग होने से निवारण

सम्मिलित है, विहित प्राधिकारी या पुष्टिकरण प्राधिकारी, आवश्यकतानुसार पुलिस सहायता के लिए लिखित रूप में अध्यक्षता कर सकेगा।

- (2) ऐसी प्रत्येक अध्यक्षता, साधारणतः, निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को संबोधित की जाएगी।
- (3) ऐसी अध्यक्षता प्राप्त होने पर, संबंधित पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन जारी विधिसम्मत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करे।
- (4) इस धारा के अधीन प्रदान की जाने वाली पुलिस सहायता में विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना, अवरोध को रोकना, विधि-व्यवस्था बनाए रखना तथा इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अभिग्रहण, हटाने, बहाली या अन्य कार्रवाई को सुकर बनाना सम्मिलित होगा।”

8. धारा 7 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“7. सड़क अवसंरचना पर से परित्यक्त वाहनों, मशीनरी या माल को हटाना—(1) इस अधिनियम की धारा 11 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विहित प्राधिकारी सड़क अवसंरचना पर से परित्यक्त वाहनों, मशीनरी या माल को अभिगृहीत करेगा तथा उन्हें हटाने की लागत के अतिरिक्त, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसे वाहन, मशीनरी या माल विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रहते हैं, दो हजार रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित करेगा:

परंतु यदि कोई अभिगृहीत वाहन, मशीनरी या माल विहित प्राधिकारी की अभिरक्षा में विहित की जाने वाली ऐसी अवधि से अधिक समय तक रहता है, तो वह व्ययन के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 6 की उपधारा (7) और (8) के अधीन हटाए गए वाहन, मशीनरी या माल को इस धारा के अधीन अभिगृहीत किया गया समझा जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन अभिगृहीत वाहनों, मशीनरी और माल का व्ययन पुष्टिकरण प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से या सरकार द्वारा विहित की जाने वाले किसी अन्य रीति से किया जाएगा। ऐसे व्ययन से प्राप्त धनराशि को सर्वप्रथम अभिग्रहण की लागत, विहित शास्ति, पुनर्स्थापन लागत, शास्ति तथा अन्य आनुषंगिक लागतों की पूर्ति के लिए समायोजित किया जाएगा। (जिसकी सूचना मांग आदेश के रूप में व्यतिक्रमी को दी जाएगी):

परंतु जहां विक्रय से प्राप्त धनराशि मांग आदेश में विनिर्दिष्ट रकम से कम होती है, वहां शेष रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होगी:

परंतु यह और कि, जहां विक्रय से प्राप्त धनराशि मांग आदेश के अधीन वसूलनीय कुल रकम से अधिक होती है, वहां अधिशेष रकम व्यतिक्रमी को विहित रीति से वापस कर दी जाएगी और जहां ऐसी अधिशेष रकम विहित अवधि तक अदावाकृत रहती है, वहां उसे समुचित लेखा शीर्ष के अधीन सरकारी कोषागार में जमा कर दिया जाएगा।

(3) विहित प्राधिकारी सभी अभिगृहीत वाहनों, मशीनरी और माल का अंतिम रूप से निर्मोचन या व्ययन किए जाने तक समुचित सूची, फोटोग्राफिक अभिलेख तथा अभिरक्षा रजिस्टर बनाए रखेगा।”।

9. धारा 8 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“8. विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि—(1) धारा 6, धारा 7 या धारा 11 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या मांग आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख की अवधि के भीतर, पुष्टिकरण प्राधिकारी के समक्ष आक्षेपों को दाखिल कर सकेगा।

(2) पुष्टिकरण प्राधिकारी, व्यथित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और आपत्ति (यों) या आदेश की प्राप्ति की तारीख से यथास्थिति, तीस दिन की अवधि के भीतर, अथवा, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो उसके दाखिल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक नहीं होगी, एक स्वतः स्पष्ट एवं तर्कसंगत आदेश पारित करेगा, जिसके द्वारा धारा 6 या धारा 11 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश या मांग आदेश की पुष्टि, उसमें संशोधन या उसे अपास्त किया जा सकेगा।

(3) आक्षेप दाखिल किए जाने या पुष्टि संबंधी कार्यवाहियों के लंबित रहने से धारा 6 की उपधारा (8) और (9) के अधीन की गई कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी और केवल इस आधार पर कि पुष्टि संबंधी कार्यवाहियां लंबित हैं, ऐसी कार्रवाई को रोका, निलंबित या प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा।

(4) जहां किसी मांग आदेश में पुनर्स्थापन लागत और शास्ति की ऐसी रकम की वसूली अंतर्वलित है, जो विहित रकम से अधिक है, वहां विहित प्राधिकारी, व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई आक्षेप दाखिल न किए जाने की दशा में भी, ऐसे मांग आदेश को पुष्टि के लिए पुष्टिकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप दाखिल नहीं किया जाता है और मांग की रकम उपधारा (4) के अधीन विहित रकम से अधिक नहीं है, वहां विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश या मांग आदेश अलग से पुष्टि किए जाने की आवश्यकता के बिना अंतिम और प्रवर्तनीय हो जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन आक्षेप दाखिल करना, दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा सुनवाई का संचालन इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से ऐसी रीति से किया जा सकेगा, जो विहित की जाए।”

10. धारा 9 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1) पुष्टिकरण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसी अपील आदेश पारित किए जाने की तारीख/उक्त आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत न की गई हो:

परंतु यह कि अपीलार्थी, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करते समय, विभाग द्वारा आकलित प्रत्याशित पुनर्स्थापन लागत की पचास प्रतिशत राशि अथवा विहित की जाने वाली ऐसी न्यूनतम राशि जमा करेगा।”; और

(ख) उपधारा (2) में, “अपील दायर किए जाने के 15 दिनों के भीतर” शब्दों के स्थान पर “अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, अथवा, यथास्थिति, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर, ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो अपील दायर किए जाने की तारीख से कुल 45 दिनों से अधिक नहीं होगी” शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

11. धारा 10 का लोप.—मूल अधिनियम की धारा 10 का लोप किया जाएगा।

12. धारा 11 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"11. प्रत्यावर्तन लागत और शास्ति का उद्ग्रहण.—(1) विहित प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने धारा 3 के अधीन कोई प्रतिषिद्ध गतिविधि की है, सड़क अवसंरचना को उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करने का आदेश दे सकेगा और जहां ऐसा व्यक्ति धारा 6 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावर्तन कार्य प्रारंभ करने में विफल रहता है या अनुज्ञात समय के भीतर उसे पूरा करने में विफल रहता है, वहां विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रत्यावर्तन कार्य को व्यक्तिवर्गीय के खर्चे पर विभागीय रूप से करवाएगा और ऐसी लागत की वसूली के लिए मांग आदेश जारी करेगा:

परंतु यह कि, जहां धारा 6 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन अथवा धारा 6 की उपधारा (7), (8) या (9) के अधीन प्रत्यावर्तन या सुधार कार्य विभागीय रूप से कराया जाना अपेक्षित है या कराया जा चुका है, वहां विहित प्राधिकारी सीधे प्रत्यावर्तन लागत और शास्ति का आकलन करेगा तथा इस उपधारा के अधीन पूर्व प्रत्यावर्तन निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता के बिना मांग आदेश जारी करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या उपधारा (1) के अधीन या धारा 6 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है या उसका अनुपालन करने में विफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी, जहां इस अधिनियम के अधीन ऐसी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित है, वहां ऐसा अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति को सड़क अवसंरचना की प्रत्यावर्तन लागत के अतिरिक्त, निम्नलिखित दरों पर शास्ति के रूप में रकम का संदाय करने का निर्देश दे सकेगा, अर्थात्:—

(i) धारा 3 के खंड (ii), (iv), (v), (vii), (ix), (xi), (xvi), (xvii) और (xix) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के उल्लंघन के लिए, प्रत्यावर्तन लागत की पांच गुना रकम;

(ii) धारा 3 के खंड (vi) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए, अयस्क अथवा उत्खनित मिट्टी/मलबे के संबंध में प्रति घन मीटर या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये प्रतिदिन, तथा संचित सामग्री के संबंध में प्रति घन मीटर या उसके भाग के लिए दो हजार रुपये प्रतिदिन;

(iii) धारा 3 के खंड (xii) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए, ऐसी गतिविधि जारी रहने तक दो हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति सप्ताह की दर से;

(iv) धारा 3 के खंड (xiv) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधि के उल्लंघन के लिए, ऐसी गतिविधि जारी रहने तक स्थापित संरचना की प्रत्येक रनिंग मीटर लंबाई के लिए पांच सौ रुपये प्रतिदिन की दर से;

स्पष्टीकरण—इस खंड के अधीन गणना के प्रयोजन के लिए, रनिंग लंबाई स्थापना के ऊर्ध्वाधर आधारों के बीच बाहरी किनारे से बाहरी किनारे तक की दूरी अथवा उस स्थान पर मार्गाधिकार (आरओडब्लू) की कुल चौड़ाई, इनमें से जो कम हो, मानी जाएगी।

(v) धारा 3 के खंड (xiii) या खंड (xv) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के उल्लंघन के लिए, हटाने की लागत की छह गुना रकम।

(3) जहां यातायात सुरक्षा, लोक सुरक्षा या सड़क अवसंरचना के संरक्षण के हित में तत्काल प्रत्यावर्तन या सुरक्षात्मक उपाय किया जाना आवश्यक हो, वहां विहित प्राधिकारी प्रारंभिक तकनीकी प्राक्कलनों के आधार पर पुनर्स्थापन लागत का अनंतिम आकलन तैयार कर सकेगा और अनंतिम मांग आदेश जारी कर सकेगा, जो विस्तृत आकलन पूरा होने के पश्चात् अंतिम समायोजन के अधीन होगा :

परंतु यह कि, अनंतिम मांग आदेश के आधार पर कोई वसूली कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी और ऐसी कोई भी वसूली अंतिम मांग आदेश जारी किए जाने के अधीन होगी।

(4) इस धारा के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक प्रत्यावर्तन लागत प्राक्कलन का तकनीकी सत्यापन एवं अनुमोदन सहायक अभियंता द्वारा किया जाएगा और जहां आकलित रकम विहित की जाने वाली मौद्रिक

सीमा से अधिक है, वहां मांग आदेश को जारी करने या उसकी वसूली किए जाने से पूर्व पुष्टि के लिए अधिशाषी अभियंता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) प्रतिषिद्ध गतिविधि के स्थल पर पाया गया कोई माल, मशीनरी, निर्माण सामग्री, औजार या चल संपत्ति:—

(क) जहां धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन अपराधी ज्ञात नहीं है; या

(ख) जहां इस अधिनियम के अधीन अतिक्रमण, अवरोध या प्रतिषिद्ध गतिविधि को विभागीय रूप से हटाया जाता है, वह विहित प्राधिकारी द्वारा अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निस्तारण किया जाएगा।

(6) विभागीय प्रत्यावर्तन, आपात कार्रवाई या अज्ञात अपराधी द्वारा की गई क्षति के कारण धारा 6 के अधीन पूर्व प्रत्यावर्तन निर्देश जारी किए बिना इस धारा के अधीन जारी किया गया कोई मांग आदेश, इस अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 में उपबंधित आपत्ति, पुष्टि और अपील की प्रक्रिया के अध्वधीन होगा।

(7) जहां सड़क अवसंरचना को हुई क्षति एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा अथवा संयुक्त या समग्र गतिविधि के माध्यम से कारित की गई है, वहां प्रत्यावर्तन लागत और शास्ति ऐसे सभी व्यक्तियों से संयुक्ततः पृथकतः वसूलनीय होगी।

स्पष्टीकरण—(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन संदेय समस्त प्रत्यावर्तन लागत और शास्ति का संदाय मांग आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी के पास किया जाएगा और ऐसा न किए जाने पर उक्त रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विहित दर पर ब्याज सहित, वसूल की जाएगी। ऐसा ब्याज जमा किए जाने के लिए अनुज्ञात अंतिम तारीख के ठीक अगले दिन से उद्भूत होगा।

(2) हटाने या प्रत्यावर्तन की लागत का निर्धारण हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की प्रवर्तमान अनुसूची दरों या लागत-निर्धारण के सिद्धांतों के अनुसार, मुद्रास्फीति के लिए विधिवत् अनुक्रमित दरों के आधार पर किया जाएगा।

13. धारा 12 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) कोई व्यक्ति, जो—

(क) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने में विहित प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को बाधित करता है, उसका प्रतिरोध करता है या उसे ऐसा करने से रोकता है; या

(ख) धारा 6 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी प्रतिषिद्ध गतिविधि को जारी रखता है; या

(ग) अंतिम मांग आदेश में विनिर्दिष्ट प्रत्यावर्तन लागत या शास्ति का, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है और पर्याप्त कारण के बिना ऐसी चूक जारी रखता है; या

(घ) इस अधिनियम की धारा 6क के अधीन जारी किए गए सड़क या यातायात के प्रतिषेध, प्रतिबंध, मार्ग-परिवर्तन या बंद किए जाने संबंधी किसी आदेश की अवज्ञा करता है, उसका उल्लंघन करता है या उसके प्रतिकूल कार्य करता है,

वह किसी भी प्रकार के ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।”

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(3) इस धारा के अधीन दाण्डिक कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना, इस अधिनियम के अधीन प्रत्यावर्तन लागत, शास्ति या किसी अन्य सिविल दायित्व की वसूली के अतिरिक्त होगा, न कि अल्पीकरण में।

(4) सरकार, नियमों द्वारा, वह अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके पश्चात् मांग की गई राशि का संदाय न किया जाना जानबूझकर की गई चूक (विलफुल डिफॉल्ट) माना जाएगा; अभियोजन आरंभ किए जाने के लिए मौद्रिक सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी; तथा ऐसे गंभीर, बार-बार किए गए या उग्र उल्लंघनों की श्रेणियां विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में सामान्यतः अभियोजन आरंभ किया जाएगा।”।

14. धारा 13 का प्रतिस्थापन—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी :-

“13.(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो सड़क अवसंरचना को प्रभावित करने वाली कोई गतिविधि करने या सुविधा प्राप्त करने का आशय रखता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

- (i) सड़क अवसंरचना से निजी संपत्ति के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना;
- (ii) सड़क अवसंरचना के साथ-साथ या उसके आर-पार पाइपलाइन, मल-निकास लाइन, विद्युत केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऐसी ही अन्य उपयोगिता सेवाएं बिछाना;
- (iii) सड़क या पुल से ऐसी दूरी जो विहित की जाए के भीतर खनन कार्य करना;
- (iv) अर्जित या नियंत्रित क्षेत्र के भीतर कोई निजी या वाणिज्यिक गतिविधि करना;
- (v) अर्जित या नियंत्रित क्षेत्र के भीतर होर्डिंग या विज्ञापन संरचनाएं प्रदर्शित करना;
- (vi) अर्जित या नियंत्रित क्षेत्र के भीतर हैंडपंप या ऐसी ही अन्य सुविधाएं स्थापित करना;
- (vii) दुर्घटनाग्रस्त वाहनों या मशीनरी को विहित की जाने वाली अवधि से अनधिक अवधि के लिए खड़ा करना; और
- (viii) सड़क अवसंरचना पर सामग्री या माल का विहित की जाने वाली अवधि से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी रूप से ढेर लगाना,

विहित रीति और प्ररूप में सहायक अभियंता को लिखित रूप में अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा। प्रत्येक मामले में अनुज्ञा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी:

परंतु यह कि, जहां ऐसा कोई प्राधिकारी अधिसूचित नहीं किया गया है, वहां इस धारा के अधीन अधीक्षण अभियंता से नीचे की पंक्ति के विभागीय अधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी।

(2) इस धारा के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों, तकनीकी विनिर्देशों, सुरक्षा उपायों और समय-सीमाओं के अधीन होगी तथा उसमें अनुमत गतिविधि के पूरा होने के पश्चात् सड़क अवसंरचना के प्रत्यावर्तन, यातायात सुरक्षा और यातायात के मार्ग-परिवर्तन की व्यवस्था,

जल-निकासी प्रणालियों और उपयोगिता सेवाओं के संरक्षण तथा, जहां अपेक्षित हो, प्रतिभूति या निष्पादन प्रत्याभूति जमा करने संबंधी दायित्व सम्मिलित होंगे।

(3) यदि अनुज्ञाधारी अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, सड़क अवसंरचना को क्षति या अवरोध कारित करता है, या अनुमत गतिविधि को अनुज्ञात अवधि या सीमा से परे करता है तो इस धारा के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञा विहित प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

(4) अनुज्ञा के निलंबन या रद्द किए जाने पर, विहित प्राधिकारी गतिविधि को तत्काल बंद करने का निर्देश दे सकेगा, ऐसी अनुज्ञा के अधीन स्थापित या रखी गई किसी संरचना, संस्थापन या सामग्री को हटवा सकेगा तथा धारा 11 के अनुसार प्रत्यावर्तन लागत और शास्ति की वसूली कर सकेगा।

(5) इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने में विफलता या अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधि माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

(6) इस धारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान किए जाने से सड़क अवसंरचना या सरकारी भूमि में कोई अधिकार, हक या हित प्रदत्त नहीं होगा और न ही इससे कोई स्थायी सुखाचार या विल्लंगम सृजित होगा।

(7) अनुज्ञा के लिए आवेदन, उसका प्रदान किया जाना, अस्वीकृति, नवीकरण, संशोधन, निलंबन या रद्दीकरण तथा उसके लिए संदेय फीस की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(8) जहां इस धारा के अधीन कोई फीस, प्रभार या अन्य रकम संदेय है, वहां अनुमत गतिविधि प्रारंभ किए जाने की पूर्वशर्त के रूप में ऐसी रकम अग्रिम रूप से जमा की जाएगी :

परंतु यह कि, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी अभिकरण द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित कार्यों की दशा में, ऐसी फीस जमा किया जाना लंबित होने के बावजूद, अनुज्ञा प्रदान किए जाने के पश्चात् अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालना के अध्यधीन अनुमत गतिविधि प्रारंभ की जा सकेगी। "।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) हिमाचल प्रदेश राज्य में सड़क अवसंरचना के संरक्षण, अनुरक्षण और विनियमन तथा उसे क्षति पहुंचाने वाली अनधिकृत गतिविधियों के निवारण और दंडित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के अधिनियमन के समय से ही यह पूरे राज्य में सड़क अवसंरचना के संरक्षण के लिए प्रमुख विधायी साधन के रूप में कार्य करता रहा है। राज्य में सड़कें आवागमन का प्रमुख साधन हैं और अधिकांश क्षेत्रों में पहुंच का एकमात्र साधन हैं, जिसके कारण सड़क अवसंरचना राज्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और आम जनता के बीच संपर्क का प्रथम माध्यम बन जाती है।

मध्यवर्ती अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें भू-स्थानिक सूचना प्रणालियां, जीपीएस-आधारित सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण, भू-टैगयुक्त फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण की संभावना, डिजिटल अभिलेख प्रबंधन तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार सम्मिलित हैं। इन प्रौद्योगिकियों ने सड़क अवसंरचना के मानचित्रण, निगरानी, दस्तावेजीकरण और प्रवर्तन की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया है। मूल अधिनियम, जो वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया था, मानचित्रण, साक्ष्य के संकलन, नोटिस की तामील अथवा अभिलेखों के रख-रखाव में इन प्रौद्योगिकीय साधनों को अपनाने के लिए पर्याप्त उपबंध नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए अपर्याप्त उपबंध, स्थल पर सड़क की सीमाओं के भू-समन्वित चिह्नीकरण का अभाव, अंतिम रूप से तैयार मानचित्रों से रहित सड़कों पर प्रवर्तन तंत्र की

अनुप्रयोज्यता, अपर्याप्त प्रवर्तन तंत्र, अनुरक्षण और सुरक्षा के लिए सड़क के उपयोग को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की शक्ति का अभाव, पुलिस सहायता की अधियाचना करने की सांविधिक शक्ति का अभाव, निरुद्ध और अभिगृहीत सामग्री के निपटान में कठिनाइयाँ, अपील के चरणों को कम करने और समय-सीमा में सुधार करने की आवश्यकता, अपराध संबंधी उपबंध को अधिक स्पष्ट एवं क्रियान्वयन योग्य बनाने तथा सड़क अवसंरचना मानचित्र तैयार करने और उसके अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे विषयों को संशोधनों के माध्यम से मूल अधिनियम में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

पिछले दो दशकों के दौरान अधिनियम के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन से अनेक संरचनात्मक, परिचालनात्मक और प्रौद्योगिकीय कमियाँ सामने आई हैं, जिनके निवारण हेतु अधिनियम में संशोधनों की आवश्यकता है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य इन कमियों को दूर करते हुए मूल अधिनियम को राज्य में सड़क अवसंरचना के संरक्षण के लिए अधिक प्रभावी, परिचालन की दृष्टि से अधिक सक्षम तथा प्रौद्योगिकी के अनुरूप अद्यतन विधायी साधन बनाना है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को पूर्ति के लिए है।

(विक्रमादित्य सिंह)
प्रभारी मंत्री।

शिमला:

तारीख—, 2026

—————
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2026.

**THE HIMACHAL PRADESH ROAD INFRASTRUCTURE PROTECTION
(AMENDMENT) BILL, 2026**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
 2. Amendment of section 2.
 3. Amendment of section 3.
 4. Amendment of section 4.
 5. Amendment of section 5.
 6. Substitution of section 6.
 7. Insertion of section 6A and 6B.
 8. Substitution of section 7.
 9. Substitution of section 8.
 10. Amendment of section 9.
 11. Omission of section 10.
 12. Substitution of section 11.
 13. Amendment of section 12.
 14. Substitution of section 13.
-

**THE HIMACHAL PRADESH ROAD INFRASTRUCTURE PROTECTION
(AMENDMENT) BILL, 2026**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Road Infrastructure Protection Act, 2002 (Act No. 20 of 2003).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Road Infrastructure Protection (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Road Infrastructure Protection Act, 2002 (hereinafter referred to as the “principal Act”),—

(a) in clause (b), for the words “Chief Engineer in-charge of the zone”, the words “Superintending Engineer in-charge of the Circle” shall be substituted;

(b) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:—

“(g-a) “demand order” means a written order issued by the prescribed authority under section 7 or section 11 or both requiring payment of restoration cost, penalty, impounding charges, disposal charges or any other amount recoverable under this Act;”;

(c) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:—

“(k-a) “penalty” means the penal amount levied under section 11 in addition to restoration cost for contravention of prohibited activities under this Act;”;

(d) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:—

“(n-a) “provisional assessment” means a temporary technical assessment of restoration cost made under section 11 for the purpose of immediate restoration or protective action, subject to final adjustment;”;

(e) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:—

“(o-a) “restoration cost” means the actual or assessed cost incurred for removal, repair, rectification or restoration of damaged road infrastructure, including labour, material, machinery, transportation and supervision charges determined in accordance with the Schedule of Rates or principles of costing of the Himachal Pradesh Public Works Department;”;

- (f) in clause (r), the word “and” occurring at the end shall be omitted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

“(r-a) “seizure” means taking possession of material, machinery, goods or movable property under authority of this Act for custody, disposal or recovery purposes; and”; and

- (g) in clause (s), for the words and signs “appointed by the State Government by notification, as such, and includes Road Inspector and Work Supervisor of the department”, the words “authorised by the Confirmatory Authority” shall be substituted.

3. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act,—

- (a) after the words “No person shall” the words “without lawful authority, cause obstruction or physical damage to any part of road infrastructure affecting traffic safety or structural integrity, and shall” shall be inserted;

- (b) for clause (xvi), the following shall be substituted, namely:—

cause damage to road infrastructure due to mining operations and transportation of mined material; ”;

- (c) in clause (xvi) at the end the word “and” shall be omitted; and

- (d) at the end of the clause (xvii), for the sign “.” the sign and word “; and” shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

“(xviii) park or cause to be parked any vehicle in such manner as to hinder the free flow of traffic or obstruct, block or interfere with roadside drainage or cross drainage systems or obstructing execution of authorised maintenance, repair or construction works on road infrastructure; and

“(xix) cause obstruction or physical damage to any part of road infrastructure affecting traffic safety or structural integrity of the road infrastructure.”.

4. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), after the words “width of the road”, the words “after carrying out demarcation in accordance with law” shall be inserted;

- (b) after sub-section (1), the following shall be inserted, namely:—

“(1A) The control points, reference pillars and boundary pillars used for preparation of the road infrastructure map shall be geo-coordinated and recorded in the presence of an officer of the Revenue Department authorised by the Government to conduct field demarcation.”;

- (c) in sub-section (2), after the words “road infrastructure”, the words “and the map shall be approved by the Chief Engineer-in-charge of the Zone concerned” shall be omitted;

- (d) after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:—

“(2A) The geo-coordinated road infrastructure map shall be jointly signed and authenticated by the Assistant Engineer concerned and the Revenue Officer authorised by the Government to conduct demarcation in the area.

(2B) The road infrastructure map may be prepared, maintained, authenticated and preserved in electronic form, and where so prepared, the map shall be digitally signed or electronically authenticated by the Assistant Engineer concerned and the Revenue Officer authorised to conduct demarcation, in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(2C) A digitally authenticated copy of such map stored in a secure Government electronic repository shall be deemed to be the original road infrastructure map for all purposes under this Act.”;

(e) in sub-section (4), for the words “Executive Engineer’s office”, the words “Executive Engineer’s or Assistant Engineer’s office” shall be substituted; and

(f) after sub-section (6), the following shall be inserted, namely:—

“(6A) Where a road infrastructure map has been finalised and notified under this section, no separate field demarcation shall be required for initiation of action under this Act:

Provided that any person against whom action is initiated may, within such period as may be prescribed, apply for fresh demarcation of the site by the Revenue Department in the presence of the prescribed authority:

Provided further that during the pendency of such demarcation proceedings,-

(a) the prescribed authority shall direct maintenance of *status quo* at the site and stoppage of any ongoing prohibited activity; and

(b) where damage to road infrastructure has occurred and requires immediate repair or technical restoration, the prescribed authority may carry out such restorative action departmentally and issue a demand order under section 11 for recovery of restoration cost and penalty, without waiting for completion of demarcation.

(6B) Where the road infrastructure map has not been finalised or notified, but the road land is *prima facie* in the ownership or possession of the Department, the prescribed authority may initiate action under this Act:

Provided that no final order of eviction, dismantling of permanent structures, or imposition of penalty, shall be passed unless the prescribed authority has first obtained a demarcation report from the competent Revenue Officer confirming the boundaries of the road and:

Provided further that pending the receipt of such demarcation report, the prescribed authority may,—

(a) issue a provisional order directing the immediate stoppage of any prohibited activity and the maintenance of *status quo* at the site;

- (b) where damage to road infrastructure has occurred and requires immediate repair or technical restoration to ensure structural or public safety, carry out such restorative action departmentally and issue a provisional demand order for the recovery of restoration costs, which shall be subject to final adjustment upon receipt of the demarcation report; and
- (c) seal, barricade, or secure the encroached portion where there is an imminent risk of further damage or irreversible alteration to the road infrastructure:

Provided also that the demarcation proceedings shall be completed within such period as may be prescribed in the rules, and where the demarcation report confirms the land to be within the Department's ownership or possession, all provisional orders issued under this sub-section shall be deemed to have been confirmed and shall become legally enforceable for recovery and prosecution from the date of their original issuance, unless specifically modified by the prescribed authority.”.

5. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, the existing provision shall be numbered as (1) and thereafter the following shall be inserted, namely:—

“(2) It shall also be the duty of officers of the department, other than the prescribed authority, during field visits, inspections or official tours within their respective jurisdiction, to check road infrastructure for encroachments or prohibited activities and to issue written directions to the prescribed authority for initiating action under this Act.

(3) The prescribed authority shall take action on such directions without undue delay and shall record compliance as may be required.”.

6. Substitution of section 6.—For section 6 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“6. Orders for control and prevention of prohibited activities under section 3.—(1) On noting the occurrence of any activity prohibited under section 3, the prescribed authority shall issue an order directing the defaulter to stop forthwith the prohibited activity and where necessary, order the restoration of *status quo* of the road infrastructure:

Provided that where the prohibited activity involves,—

- (i) unauthorised digging, cutting or breaking of road infrastructure;
- (ii) damage to bridges, pavements, retaining walls, protection works or allied road infrastructure;
- (iii) blocking, destruction or permanent impairment of roadside drainage, culverts or catch pits;
- (iv) uprooting or destruction of roadside plantations; or
- (v) any damage requiring technical or engineering intervention for restoration, the prescribed authority shall not issue any direction to the defaulter for restoration of *status quo*, but shall cause such restoration or rectification to be carried out departmentally without delay and issue a demand order for recovery of restoration cost and penalty in accordance with section 11.

(2) An order of the prescribed authority under sub-section (1) shall clearly describe in writing the prohibited activity and also indicate the location of the occurrence of such prohibited activity on the relevant portion of the road infrastructure map where such map exists and the extent of such activity and the damage already caused or being caused, by way of a geo-coordinated photographic or digital evidence.

(3) Where restoration by the defaulter is permissible under this section, the prescribed authority shall direct the defaulter to restore the status of the road infrastructure to its original position within a specified period of time by starting the process of restoration within three days from the issue of notice and complete the same within the allowed time.

(4) Every order issued under this section shall clearly state that in the event of failure by the defaulter to comply with any direction issued thereunder within the time specified, the prescribed authority may cause the required removal, restoration or rectification to be carried out departmentally at the risk and cost of the defaulter and may issue a demand order for recovery of restoration cost and penalty in accordance with section 11.

(5) The order shall further indicate that continued or wilful disobedience of such order may render the defaulter liable to prosecution under section 12 of this Act.

(6) Any structure, material, movable property removed or dismantled in the course of such action may be confiscated to the Government and disposed of in the prescribed manner; and the proceeds realised from such disposal shall be credited to the Government Treasury under the appropriate head of account and shall be adjusted towards the restoration cost and penalty specified in the demand order, and where such proceeds are insufficient, the balance amount shall be recoverable as arrears of land revenue.

(7) Every notice or order issued under this section shall be served on the person concerned by delivering or tendering the same personally or through an adult member of the family or authorised agent, or by registered post, or by such electronic means as may be prescribed and, where such service is not practicable, by affixing a copy thereof at a conspicuous place on the site of occurrence or on the property concerned or by publication in such manner as may be prescribed, or by any other mode of service permissible under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(8) Notwithstanding anything contained in this section, the prescribed authority may, without issuing any prior notice, remove any unauthorised occupation or prohibited activity on road infrastructure which is temporary, movable or non-permanent in nature, including exposing or displaying goods or articles, temporary stalls, kiosks or booths, parking or standing of vehicles, goods or materials obstructing traffic movement or drainage flow and tethering of livestock or other easily removable obstructions, where such occupation or activity interferes with traffic safety, road operations or drainage functioning:

Provided that where such removal reveals or involves damage to road infrastructure, the prescribed authority shall assess such damage and issue a demand order for recovery of restoration cost and penalty in accordance with section 11:

Provided further that the removal, eviction, or relocation of any street vendor holding a valid Certificate of Vending issued by the competent Town Vending Committee shall be undertaken in accordance with the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014):

Provided also that nothing contained in any other law shall prevent the prescribed authority from taking immediate summary action under this sub-section if such temporary stall, kiosk, booth, or display of goods encroaches upon the paved carriageway, completely obstructs the roadside drainage, or creates an imminent, unavoidable hazard to vehicular traffic or public safety.

(9) Notwithstanding anything contained in this section, where the prescribed authority is satisfied that any prohibited activity or obstruction requires immediate intervention in the interest of traffic safety, structural safety of road infrastructure, protection of drainage systems, public health or prevention of imminent damage to road infrastructure, the authority may, without prior notice, remove such obstruction, material or structure, stop such activity or discharge or take such immediate protective measures as may be necessary and the cost incurred shall be recoverable in accordance with section 11.

(10) Where any prohibited activity has resulted in damage to road infrastructure and the person responsible for such damage is not known or cannot be immediately identified, the prescribed authority shall register the occurrence as a case of damage to road infrastructure, record the nature and extent of damage and assess the restoration cost, take immediate steps for protection, removal of obstruction or restoration of the affected road infrastructure and proceed to recover the restoration cost and penalty from the person responsible as and when such person is identified.

Explanation.—Registration of such damage shall not be dependent on prior identification of the offender and the amount assessed shall be recoverable in accordance with section 11 of this Act.”.

7. Insertion of section 6A and 6B.—After section 6 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

“6A. Power to restrict the use of vehicles.—If the Confirmatory Authority is satisfied that it is necessary in the interest of public safety or convenience, or because of the nature of any road or bridge so to do, it may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), prohibit or restrict, subject to such exceptions or conditions as may be specified in the notification, the use of any road or part thereof by a class or classes of traffic either generally or on specified occasions or time as specified in the notification and when such prohibition or restriction is imposed, the Confirmatory Authority shall cause such traffic signs to be placed or erected at suitable places for the convenience of the traffic as may be prescribed:

Provided that where any prohibition or restriction under this section is to remain in force for a period of one month or less, such prohibition or restriction may be imposed without issuing a notification in the Rajpatra (e-Gazette):

Provided further that the prohibition or restriction imposed under the first proviso shall be published widely for the knowledge of the users by other possible means.

6B. Power to requisition police assistance.—(1) For the purpose of carrying out any action under sections 6, 7, 11 or 12 of this Act, including removal of encroachment, obstruction, seizure of material, impounding of vehicles, execution of restoration measures, enforcement of *status quo*, or prevention of breach of peace, the prescribed authority or confirmatory authority may by requisition in writing, such police assistance as may be necessary.

(2) Every such requisition shall ordinarily be addressed to the Officer-in-Charge of the nearest Police Station.

(3) Upon receipt of such requisition, it shall be the duty of the police officer concerned to provide necessary assistance for ensuring compliance with the lawful orders issued under this Act.

(4) The police assistance provided under this section shall include protection to officers of the department, prevention of obstruction, maintenance of law and order, and facilitation of seizure, removal, restoration or other action undertaken under this Act.”.

8. Substitution of section 7.—For section 7 of the principal Act, following shall be substituted, namely:—

“7. Removal of abandoned vehicles or machinery or goods on road infrastructure.—(1) Save as provided in section 11 of this Act, the prescribed authority shall impound vehicles, machinery or goods abandoned on road infrastructure and, in addition to the cost of removal, impose a penalty at the rate of two thousand rupees per day for the period during which such vehicles, machinery or goods remain in the custody of the prescribed authority:

Provided that if any impounded vehicle, machinery or goods remain in the custody of the prescribed authority for a period exceeding such time as may be prescribed, the same shall be liable for disposal.

Explanation.—For the purposes of this section, vehicles, machinery or goods removed under sub-sections (8) and (9) of section 6 shall be deemed to have been impounded under this section.

(2) The disposal of impounded vehicles, machinery and goods under this section shall be carried out by the Confirmatory Authority through public auction or any other manner as may be prescribed by the Government; and the proceeds realised from such disposal shall first be adjusted towards the impounding costs, restoration cost, penalty and other incidental costs (to be conveyed to the defaulter in the form of a demand order):

Provided that where the sale proceeds fall short of the amount specified in the demand order, the remaining amount shall be recoverable as arrears of land revenue:

Provided further that where the sale proceeds exceed the total amount recoverable under the demand order, the surplus amount shall be refunded to the defaulter in such manner as may be prescribed and where such surplus remains unclaimed for the prescribed period, the same shall be credited to the Government Treasury under the appropriate head of account.

(3) The prescribed authority shall maintain proper inventory, photographic record and custody register of all impounded vehicles, machinery and goods until final release or disposal.”.

9. Substitution of section 8.—For section 8 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“8. Confirmation of the orders passed by the prescribed authority.—(1) Any person aggrieved by an order or demand orders issued by the prescribed authority under section 6, section 7 or section 11 may file objections before the confirmatory authority within a period of fifteen days from the date of service of such order.

(2) The confirmatory authority shall afford the aggrieved person a reasonable opportunity of being heard, either in person or through authorised representative, and shall pass a self-speaking and reasoned order within a period of 30 days of the receipt of objection(s) or order, or within such extended period not exceeding a total of 45 days from the date of filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing, either confirming, modifying or setting aside the order or demand order passed by the prescribed authority under section 6 or section 11.

(3) The filing of objections or pendency of confirmation proceedings shall not operate as a stay on actions taken under sub-sections (8) and (9) of section 6 and such actions shall not be stayed, suspended or reversed merely on the ground that confirmation proceedings are pending.

(4) Where a demand order involves recovery of restoration cost and penalty exceeding such amount as may be prescribed, the prescribed authority shall place such demand order before the confirmatory authority for confirmation even if no objection has been filed by the aggrieved person.

(5) Where no objection is filed within the period specified under sub-section (1) and the demand amount does not exceed the amount prescribed under sub-section (4), the order or demand order issued by the prescribed authority shall become final and enforceable without requiring separate confirmation.

Explanation.—Filing of objections, submission of documents and conduct of hearing under this section may be carried out through electronic or digital means in such manner as may be prescribed.”.

10. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) No appeal shall be entertained against any order passed by the confirmatory authority unless the appeal is filed within a period of thirty days from the date of passing of order or communication of such order whichever is later:

Provided that the appellant, while filing the appeal against such order, shall deposit fifty per cent of the anticipated restoration cost as assessed by the department or such minimum amount as may be prescribed.”; and

(b) in sub-section (2), for the words and figures “within 15 days of the filing of the appeal”, the words, figures and signs “within a period of 30 days of the receipt of appeal, or within such extended period not exceeding a total of 45 days from the date of filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing,” shall be substituted.

11. Omission of section 10.—Section 10 of the principal Act shall be omitted.

12. Substitution of section 11.—For section 11 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“11. Levy of restoration cost and penalty.—(1) The prescribed authority may order any person who has indulged in a prohibited activity under section 3 to restore the road infrastructure to its original state and, where such person fails to commence restoration within the period specified under section 6 or fails to complete the same within the time allowed, the prescribed authority shall cause such restoration to be carried out departmentally at the cost of the defaulter and shall issue a demand order for recovery of such cost:

Provided that where restoration or rectification is required to be carried out or has been carried out departmentally under the proviso to sub-section (1) of section 6 or under sub-sections (8), (9) or (10) of section 6, the prescribed authority shall directly assess the restoration cost and penalty and issue a demand order without requiring issuance of a prior restoration direction under this sub-section.

(2) If a person contravenes or fails to comply with any provision of this Act or any order made under sub-section (1) or under section 6, the prescribed authority may, after giving a reasonable opportunity of being heard wherever such opportunity is required under this Act, direct such person to pay, by way of penalty, in addition to the cost of restoration of road infrastructure at the following rates, namely:—

- (i) for contravention of prohibited activities referred to in clauses (ii), (iv), (v), (vii), (ix), (xi), (xvi), (xvii) and (xix) of section 3, an amount which shall be five times of the restoration cost;
- (ii) for contravention of prohibited activities referred to in clause (vi) of section 3, an amount at the rate of one thousand rupees per cubic meter or part thereof per day in respect of excavated earth or debris and at the rate of two thousand rupees per cubic meter or part thereof per day in respect of stacked material;
- (iii) for contravention of prohibited activities referred to in clause (xii) of section 3, an amount at the rate of two thousand rupees per square meter per week till the time such act continues;
- (iv) for contravention of prohibited activities referred to in clause (xiv) of section 3, an amount at the rate of five hundred rupees per running meter of the erection per day till the time the act continues;

Explanation.—For the purpose of calculation under this clause, the running length shall be taken as the outer-edge to outer-edge distance between the vertical supports of the installation, or the total width of the Right of Way (RoW) at that location, whichever is lesser.

- (v) for contravention of prohibited activities referred to in clause (xiii) or clause (xv) of section 3, an amount at the rate of six times the cost of removal.

(3) Where immediate restoration or protective measures are required in the interest of traffic safety, public safety or protection of road infrastructure, the prescribed authority may prepare a provisional assessment of restoration cost on the basis of preliminary technical

estimates and issue a provisional demand order, which shall be subject to final adjustment after completion of detailed assessment:

Provided that no recovery proceedings shall be initiated on the basis of a provisional demand order, and any such recovery shall be subject to the issuance of a final demand order.

(4) Every restoration cost estimate prepared under this section shall be technically verified and approved by the Assistant Engineer, and where the assessed amount exceeds such monetary limit as may be prescribed, the demand order shall be placed before the Executive Engineer for confirmation prior to issuance or recovery.

(5) Any material, machinery, construction components, tools or movable property found at the site of prohibited activity:—

- (a) where the offender is not known under sub-section (10) of section 6; or
- (b) where encroachment, obstruction or prohibited activity is removed departmentally under this Act, shall be liable to seizure and confiscation by the prescribed authority and shall be dealt with in accordance with the procedure prescribed under this Act or rules framed under this Act.

(6) Any demand order issued under this section without issuance of a prior restoration direction under section 6 on account of departmental restoration, emergency action or unknown offender damage shall be subject to the objection, confirmation and appeal procedure provided under sections 8 and 9 of this Act.

(7) Where damage to road infrastructure has been caused by more than one person or through joint or composite activity, the restoration cost and penalty shall be recoverable jointly and severally from all such persons.

Explanation.—(1) All restoration costs and penalties payable under the provisions of this section shall be deposited with the prescribed authority within such period as may be specified in the demand order, failing which the same shall be recovered as arrears of land revenue, together with interest, at the rate as may be prescribed in rules framed under this Act, commencing from the day immediately following the last date allowed for deposit.

(2) Cost of removal or restoration shall be determined as per the current Schedule of Rates or principles of costing of the Himachal Pradesh Public Works Department duly indexed for inflation.”.

13. Amendment of section 12.—In section 12 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) Any person who,—

- (a) obstructs, resists or prevents the prescribed authority or any officer authorised under this Act from discharging duties under this Act; or
- (b) continues any prohibited activity in contravention of an order issued under section 6; or

- (c) fails to pay the restoration cost or penalty specified in a final demand order within the specified period and continues such default without sufficient cause; or
- (d) disobeys, violates or acts in contravention of any order of prohibition, restriction, diversion or closure of road or traffic issued under section 6A of this Act,

shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.”.

- (b) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

“(3) The initiation of criminal proceedings under this section shall be in addition to and not in derogation of the recovery of restoration cost, penalty or any other civil liability under this Act.

(4) The Government may, by rules, specify the period after which non-payment of demand amount shall be treated as wilful default; monetary thresholds for initiating prosecution; and categories of serious, repeated or aggravated violations for which prosecution shall ordinarily be initiated.”.

14. Substitution of section 13.—For section 13 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“(1) Every person who intends to undertake any activity or facility affecting road infrastructure, including—

- (i) providing approach to private property from road infrastructure;
- (ii) laying of services such as pipelines, sewerage lines, electrical cables, optical fibre cables or similar utilities either along or across road infrastructure;
- (iii) carrying out mining activities within such distance from the road or bridge as may be prescribed;
- (iv) carrying out any private or commercial activity within the acquired or controlled area;
- (v) display of hoardings or advertisement structures within the acquired or controlled area;
- (vi) installation of hand pumps or similar facilities within the acquired or controlled area;
- (vii) parking of accidented vehicles or machinery for a period not exceeding such duration as may be prescribed; and
- (viii) temporary stacking of materials or goods on road infrastructure for a period not exceeding such duration as may be prescribed,

shall apply for permission in writing to the Assistant Engineer in such manner and form as may be prescribed. The permission shall be issued by such authority as may be notified for the purpose in each case:

Provided that where no such authority is notified the permission shall not be granted under this section by the officer of department not below the rank of Superintending Engineer.

(2) Permission granted under this section shall be subject to such conditions, technical specifications, safety measures and time limitations as may be specified in the permission order and shall include obligations relating to restoration of road infrastructure after completion of the permitted activity, traffic safety and diversion arrangements, protection of drainage systems and utilities and deposit of security or performance guarantee, where required.

(3) Any permission granted under this section may be suspended or cancelled by the prescribed authority if the permission holder violates any condition of the permission, causes damage or obstruction to road infrastructure, or carries out the permitted activity beyond the permitted period or extent.

(4) Upon suspension or cancellation of permission, the prescribed authority may direct immediate stoppage of the activity, cause removal of any structure, installation or material placed under such permission and recover restoration cost and penalty in accordance with section 11.

(5) Failure to obtain permission under this section or violation of any condition of permission shall be deemed to be a prohibited activity under section 3 and shall be dealt with in accordance with the provisions of this Act.

(6) Grant of permission under this section shall not confer any right, title or interest in road infrastructure or Government land and shall not create any permanent easement or encumbrance.

(7) The procedure for application, grant, refusal, renewal, modification, suspension or cancellation of permission and the fee payable thereof shall be such as may be prescribed.

(8) Where any fee, charge or other amount is payable under this section, the same shall be deposited in advance as a condition precedent to commencement of the permitted activity. .

Provided that in case of works executed by or on behalf of the State Government, the Central Government, or any agency notified for the purpose, the permitted activity may be commenced after grant of permission notwithstanding pendency of deposit of such fee, subject to compliance within such period as may be specified in the permission order.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Road Infrastructure Protection Act, 2002 (hereinafter referred to as ‘the principal Act’) was enacted to provide for the protection, maintenance and regulation of road infrastructure in the State of Himachal Pradesh and to prevent and penalise unauthorised activities

causing damage thereto. The Act has served as the primary legislative instrument for protection of road infrastructure across the State since its enactment. The roads are the primary and, in most areas, the only means of access in the State, making road infrastructure the first point of contact between the priority sector.

The intervening period has also witnessed remarkable advances in technology-including geospatial information systems, GPS-based surveying, digital mapping, possibility of geotagged photographic documentation, digital record management, and electronic communication which have transformed the manner in which road infrastructure can be mapped, monitored, documented, and enforced. The principal Act, having been enacted in 2002, does not sufficiently provide for the adoption of these technological tools in mapping, evidence collection, notice service, or record keeping.

Moreover, inadequate provision for technological integration, absence of Geo-Coordinated marking of road boundaries at site, non-applicability of enforcement mechanism to roads without finalised maps, inadequate enforcement mechanism, absence of power to temporarily restrict road use for maintenance and safety, absence of statutory power to requisition police assistance, friction in disposal of impounded and seized material, reducing appeal stages and improving timelines, elaboration and operationalisation of the offence clause, simplification of the road infrastructure map preparation and approval chain require to be incorporated in the principal Act by way of amendments.

The field implementation of Act during last two decades has revealed several structural, operational, and technological deficiencies that require amendments in the Act correction. The proposed amendment address these deficiencies with the object of making the principal Act a more effective, operationally efficient, and technologically upto date instrument for road infrastructure protection in the State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIKRAMADITYA SINGH)

Minister-in-Charge.

SHIMLA:

THE.....2026.
